भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3001

04 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति

3001. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री राजबहादुर सिंह:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई है या बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) टीओडी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास देश में क्रियान्वित की जा रही टीओडी नीति के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसी नीति की स्थिति क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (घ): शहरी परिवहन शहरी विकास का अभिन्न अंग है जो कि राज्य का विषय है। अत: शहरों की मुख्य योजना/ विकास योजना के रूप में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के सिद्धांतो की अधिसूचना/ इसको अपनाने सहित शहरी परिवहन प्रणाली की नीति, आयोजना, प्रबंधन और कार्यान्वयन से संबंधित पहलें संबंधित यूएलबी/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती हैं। तथापि, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) संबंधी राष्ट्रीय नीति दिनांक 01.05-2017 को अधिसूचित की गई थी जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहर विशिष्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीतियों को विकसित करने, अधिसूचित करने

और तैयार करने के लिए भारतीय शहरों/राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। टीओडी नीति का उद्देश्य 500-800 मीटर जन परिवहन स्टेशनों के प्रभाव क्षेत्र के भीतर उच्च घनत्व, मिश्रित भूमि उपयोग वाले नियोजित और सुस्थिर शहरी केंद्रों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य शहरों को निजी वाहन आधारित विकास से सार्वजनिक परिवहन उन्मुख आधारित विकास में बदलना, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को सुलभ बनाकर इसे बढ़ावा देना और साथ ही प्रदूषण और मोटरीकरण की अन्य नकारात्मक बाहरी कारकों को रोकना है। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ठोस और सघन विकास
- भूमि उपयोग का मिश्रित प्रयोग
- अनिवार्य आवासन और आवास विविधता
- बहुविध एकीकरण
- पैदल यात्री, साइकिल चालकों और एनएमटी उपयोगकर्ताओं पर ध्यान देना
- स्ट्रीट ओरिएंटेड भवन और आकर्षक सार्वजनिक स्थान
- सुव्यवस्थित पार्किंग

****